बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0/SBPDCL–04/2019 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार,वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन कांटी शहर (पूर्व वितरण फेन्चाईजी क्षेत्र) के विद्युत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 26.77 करोड़ (छब्बीस करोड़ सतहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–613 दिनांक–05.03.2019 के द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन कांटी शहर (पूर्व वितरण फेन्चाईजी क्षेत्र) के विद्युत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 26.77 करोड़ (छब्बीस करोड़ सतहत्तर लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि 3.00 करोड़ रूपये के अतिरिक्त 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये की मांग की गई है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन कांटी शहर (पूर्व वितरण फेन्चाईजी क्षेत्र) के विद्युत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 26.77 करोड़ (छब्बीस करोड़ सतहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0111–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900111 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0048–नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

5. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA276 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/SBPDCL–04/2019 के पृष्ठ संख्या–15/टि0 पर दिनांक–25.02.2019 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/SBPDCL–04/2019 के पृष्ठ संख्या–22/टि0 पर दिनांक–21.08.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/SBPDCL–04/2019 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/SBPDCL–04/2019 2332 /पटना, दिनांक– 02/09/19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।